संख्या-258/2025/ 1839 /चार-2025-1939392

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 01 जुलाई, 2025**

विषय:- कैलाश मानसरोवर भवन इंदिरा पुरम गाजियाबाद में भजन गायन/भक्ति संगीत कार्यक्रम कराये जाने में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 693/सं0नि0-15(24)/2025-26-360071, दिनांक 12 जून, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कैलाश मानसरोवर भवन इंदिरा पुरम गाजियाबाद में भजन गायन / भक्ति संगीत कार्यक्रम कराये जाने में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर होने वाले व्यय के संबंध में प्रस्ताव निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	दिनांक	कलाकार का नाम	मोबाइल नं0	दल में सदस्यों की संख्या	कुल मानदेय
1.	14.06.2025	सुश्री मुक्ता वार्ष्णेय, गाजियाबाद	9810895664	07	30,000.00
2.	19.06.2025	श्री राकेश खन्ना, गौतमबुद्ध नगर	9810325505	07	30,000.00
3.	26.06.2025	श्री योगेश सेमर, गौतमबुद्ध नगर	9891713850	07	30,000.00
4.	01.07.2025	श्री शिव किशोर त्रिपाठी, गाजियाबाद	7217611825	06	30,000.00
5.	03.07.2025	श्री राम कुमार लक्खा, गाजियाबाद	9412534159	07	30,000.00
6.	07.07.2025	श्री राजेश चन्द्रा, गाजियाबाद	9911309979	07	30,000.00
7.	08.07.2025	सुश्री रिम्पा कुमारी, गौतमबुद्ध नगर	8505857257	06	30,000.00
8.	11.07.2025	श्री अभिनव शर्मा, गौतमबुद्ध नगर	9212055994	06	30,000.00
9.	13.07.2025	श्री जयवीर भाटी, गौतमबुद्ध नगर	9310531165	07	30,000.00

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10.	20.07.2025	सुश्री मधुमिता बोस, गौतमबुद्ध नगर	9871844460	06	30,000.00
11.	25.07.2025	सुश्री वैदेही गोयल, गौतमबुद्ध नगर	9818692277	06	30,000.00
12	01.08.2025	सुश्री मधुमिता मजूमदार, गाजियाबाद	9267921715	07	30,000.00
13.	03.08.2025	सुश्री गायत्री शर्मा, गौतमबुद्ध नगर	7037703175	06	30,000.00
14.	06.08.2025	श्री सत्यपाल त्यागी, गौतमबुद्ध नगर	9811809944	07	30,000.00
15.	07.08.2025	श्री उदय वीर चौहान, गौतमबुद्ध नगर	9310461604	06	30,000.00
योग (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र)					**4,50,000.00**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कैलाश मानसरोवर भवन इंदिरा पुरम गाजियाबाद में भजन गायन / भक्ति संगीत कार्यक्रम कराये जाने में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर होने वाले व्यय **रू0 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19-विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।